



- 1. शिक्षक/कर्मियों एवं शिक्षोत्तर कर्मचारियों को राजकीय सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं के कर्मचारियों को अनुमन्य वेतनमानों तथा अन्य भत्तों के समान वेतनमान तथा अन्य भत्ते नहीं दिये जायेंगे।
- 2. संस्था द्वारा जो वेतन नहीं देना पड़ेगा, और उन्हें सहायता प्राप्त शिक्षण विषय उच्चतर माध्यमिक शिक्षणों के कर्मचारियों की अनुमन्य सेवा-अनुवृत्त का लाभ उपलब्ध कराया जायेगा।
- 3. राज्य सरकार द्वारा सहायता पर जो भी आदेश निर्गत किये जायेंगे संस्था उनका पालन करेगी।
- 4. शिक्षण का रिजर्व विधायित प्रम./पंजिकाओं में रखा जायेगा।
- 5. उक्त कर्तों में राज्य सरकार के पूर्वानुमोदन के बिना कोई परिवर्तन/संशोधन/परिवर्तन नहीं किया जायेगा।

उक्त प्रतिबंधों का पालन करना संस्था के लिए अनिवार्य होगा और संस्था को यह पता होगा कि संस्था द्वारा उक्त प्रतिबंधों का पालन नहीं किया जा रहा है तथा पालन करने में किसी प्रकार की धूर्तता/भ्रष्टता/असहयोगता प्रकट हो रही है तो राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त अनुवृत्त प्रमाण पत्र वापस ले लिया जायेगा।

भवदीय,

**श्रीम प्रकाश गुप्त ।  
सहायक प्राचार्य ।**

दस्तावेज दिनांक तृतीय

प्रतिनिधि नियमों/विद्यालय को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1. शिक्षा निदेशक, उत्तर प्रदेश।
- 2. राष्ट्रीय संयुक्त शिक्षा निदेशक, **लखनऊ ।**
- 3. शिक्षा विभाग, निरीक्षण, **लखनऊ ।**
- 4. निरीक्षण, आंजा भारतीय विद्यालय, 3050, लखनऊ ।
- 5. प्रबंधक, **राजेश्वरम इंटरनेशनल एकेडमी सी. गोविन्दपुरम, मेवा हास्पिटल, सीतापुर रोड, लखनऊ ।**

*Singh*  
07/02/2024

**SANJAY KUMAR**  
PRINCIPAL  
Rameshwaram International Academy  
Lucknow

Manager  
Rameshwaram International Academy  
Govindpuram, Sitapur Road, Lucknow

आज्ञा है,  
*[Signature]*  
**श्रीम प्रकाश गुप्त ।  
सहायक प्राचार्य ।**